



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/2023

जयपुर, दिनांक : 29-09-2023

आज्ञा

श्रीमती निधी नारनोलिया, आर.ए.एस., सहायक कलक्टर (मुख्यालय), बानसर (कोटपतली-बहरोड) (स्थानान्तरणाधीन) को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रैदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निलम्बित करने के एतदद्वारा तुरंत प्रभाव से आदेश प्रदान करती है।

श्रीमती निधी नारनोलिया, आर.ए.एस. का निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अक्षय गोदारा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 श्रीमती निधी नारनोलिया, आर.ए.एस. (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
- 6 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 कार्मिक (क-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 12 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitaly signed by Akshay Godara
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.29, 15:26:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4812904

